

7/9/22

पत्रावली देना हुआ। वादी व वकील  
वादी अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगायी  
गयी। आवाज लगावके से उपरान्त भी वादी की  
ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। उक्त: वादी  
का वाद पत्र उक्त हाजरी उक्त पैरवी में खरीज  
किया जाता है। पत्रावली फॉल्ल शुद्ध होकर नम्बर  
से कट होकर फॉल्ल दाखिल है।



(बृजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)